प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 02.01.2025

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.01.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों 1. अनुज पुत्र गजेन्द्र निवासी कस्बा चौकी के पास अर्जुन नगर थाना पिलखुआ जनपद हापुड, उम्र करीब 26 वर्ष 2. जितेन्द्र उर्फ शिवा पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम जोया थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम गिरोह बनाकर लूट व चोरी जैसे अपराध कारित करते हैं व अपने साथियों के साथ लूट व चोरी के अभियोग में पूर्व में जेल जा चुके है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

1.अनुज पुत्र गजेन्द्र निवासी कस्बा चौकी के पास अर्जुन नगर थाना पिलखुआ जनपद हापुड, उम्र करीब 26 वर्ष।
2. जितेन्द्र उर्फ शिवा पुत्र विजय सिंह निवासी ग्राम जोया थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त अनुज उपरोक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर लूट/गैंगस्टर एक्ट के कुल 02 अभियोग एवं जनपद बुलन्दशहर व हापुड में लूट व चोरी के 03 अभियोग पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ शिवा उपरोक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर लूट व गैंगस्टर एक्ट के कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर हत्या कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशांदेही से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल डंडा बरामद।

दिनांक 01.01.2025 को थाना मुरादनगर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी रावली अन्तर्गत ग्राम मिलक रावली में एक व्यक्ति विनोद, उम्र करीब 35 वर्ष की किसी ने हत्या कर दी है। इस सूचना के आधार पर फील्ड यूनिट को बुलाते हुए तत्काल थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कर आस पास के लोगों से पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक शराब पीने का आदी था जिसके साथ कल देर रात पड़ोस के व्यक्ति मोहित शर्मा पुत्र प्रमोद शर्मा नि0 मिलक रावली थाना मुरादनगर गा0बाद ने मार पिटाई की थी जिससे उसके सिर, हाथ व पैर में चोटें आयीं हैं जिसके उपरान्त यह मृत्यु कारित हुई है। पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। सभी पहलुओं पर जांच करते हुए परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धारा 103(1) बी.एन.एस. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया।
तत्पश्चात आज दिनांक 02.01.2025 को 24 घंटे के अंदर थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा घटना कारित करने वाला अभियुक्त मोहित शर्मा उम्र 28 वर्ष पुत्र प्रमोद शर्मा नि0 मिलक रावली थाना मुरादनगर गाजियाबाद को ग्राम मिलक रावली से गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल डंडा बरामद किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं एमाजोन में नौकरी करता हूँ। मेरा घर व मृतक विनोद का घर आमने सामने हैं। दिनांक 31.12.2024 की रात्रि करीब 20.00 बजे मैं अपनी ड्यूटी से घर आया था,विनोद मेरे घर के बाहर मेरी पत्नी से अपशब्द बोल रहा था जिसे मैंने समझाया तो वह मेरे से भी गाली गलौच कर रहा था विनोद के हाथ में डंडा था। मैंने उससे डंडा छीनकर उसके पैरो में मार दिया वो नीचे गिर गया जिसके कारण उसके सिर में चोट आ गयी फिर वह अपने घर चला गया और मैं अपने घर पर आ गया। हमें सुबह 11.00 बजे पता चला कि विनोद की मृत्यु हो गयी। जिस डंडे से मैने विनोद को मारा था, वह मैंने आपको बरामद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहित शर्मा पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम मिलक रावली थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल डंडा

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के आभूषण बरामद।

दिनांक 02.01.2025 को वादी द्वारा लोनी बोर्डर पर एक तहरीर दी गई कि अभियुक्त कपिल पुत्र प्रहलाद निवासी ए लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी के घर में रखे आभूषण चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बोर्डर पर धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 02.01.2025 को मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाला अभियुक्त कपिल पुत्र प्रहलाद निवासी ए लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि ये आभूषण जो मुझसे बरामद हुए हैं। ये मैंने मौका पाकर वादी के घर से चोरी कर लिये थे। मैं इस सामान को बेचने ही वाला था कि पुलिस ने पकड लिया।

बरामदगी का विवरण :-

अभियुक्त के कब्जे से 01 मंगलसूत्र पीली धातु, 02 अंगूठी पीली धातु , 02 कान के कुण्डल पीली धातु, 01 बिच्छुवा सफेद धातु व 01 चेन पीली धातु बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कपिल पुत्र प्रहलाद निवासी ए लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बोर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा अन्तर्राजीय गिरोह के 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण: आज दिनांक 02.01.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेंकिंग के दौरान 05 अभियुक्तगण 1. आसिफ पुत्र मौहम्मद शहजाद निवासी भलसवा डेयरी, राजीवनगर, श्रीबालाजी पोपर्टी गली नं0 06 ,दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष, 2. खलील अहमद उर्फ पहलवान उर्फ भूरा पुत्र सगीर अहमद निवासी मोहल्ला मुल्लाना आसियाना डेयरी के पास अमरोहा थाना अमरोहा नगर, जनपद अमरोहा उम्र करीब 55 वर्ष, 3. तस्लीम पुत्र तारिक अली निवासी म0सं0 12 गली नं0 06 भलसवा डेयरी, राजीवनगर, दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष, 4. फैजान पुत्र खलील अहमद निवासी मोहल्ला मुल्लाना आसियाना डेयरी के पास अमरोहा थाना अमरोहा नगर, जनपद अमरोहा उम्र करीब 25 वर्ष, 5. विशाल पुत्र देवकुमार निवासी म0नं0-04 गली नं0-01 नियर शहीद भगत सिंह स्कूल थाना भलसवा डेयरी, दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष को मैक्स हास्पिटल पार्किंग के पास प्रमोद की चाय की दुकान के सामने सै0 1 वैशाली से चोरी की 02 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2),317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्तगण उपरोक्त ने मिलकर यामाहा मोटर साइकिल को शशि गार्डन दिल्ली से चोरी किया था तथा दूसरी मोटर साइकिल रॉयल इनफील्ड क्लासिक को बादली एक्सटेंशन दिल्ली से चोरी किया था। जिन्हें बेचने के लिए आज जा रहे थे। अभियुक्तगण उपरोक्त दिल्ली एनसीआर में चोरी की घटना कारित करते है तथा अन्य सामाजिक स्थानों पर खड़े वाहनों की रेकी कर चोरी कर लेते थे और विरोध करने पर लोगों के साथ मारपीट करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:

1. आसिफ पुत्र मौहम्मद शहजाद निवासी भलसवा डेयरी, राजीवनगर, श्रीबालाजी पोपर्टी गली नं0 06 ,दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष।
2. खलील अहमद उर्फ पहलवान उर्फ भूरा पुत्र सगीर अहमद निवासी मोहल्ला मुल्लाना आसियाना डेयरी के पास अमरोहा थाना अमरोहा नगर, जनपद अमरोहा उम्र करीब 55 वर्ष।
3. तस्लीम पुत्र तारिक अली निवासी म0सं0 12 गली नं0 06 भलसवा डेयरी, राजीवनगर, दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष।
4. फैजान पुत्र खलील अहमद निवासी मोहल्ला मुल्लाना आसियाना डेयरी के पास अमरोहा थाना अमरोहा नगर, जनपद अमरोहा उम्र करीब 25 वर्ष।
5. विशाल पुत्र देवकुमार निवासी म0नं0-04 गली नं0-01 नियर शहीद भगत सिंह स्कूल थाना भलसवा डेयरी, दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त पर चोरी का माल बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर 01 अभियोग व दिल्ली में चोरी के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त खलील उपरोक्त पर थाना कौशाम्बी,दिल्ली, मुरादाबाद व उत्तराखंड में गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, चोरी व चोरी का माल बरामदगी व धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में कुल 08 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त तस्लीम उपरोक्त पर थाना कौशाम्बी व दिल्ली में चोरी व चोरी का माल बरामदगी तथा आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित कुल 05 अभियोग पंजीकृत है।

- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 01.01.2024 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा थाना खोडा पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त अनुज कसाना पुत्र चौधरी अतर सिंह कसाना निवासी 89 महालक्ष्मी गार्डन गली न0 5 म0न0 123 खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष को महावीर चौक के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त अनुज कसाना पुत्र चौधरी अतर सिंह कसाना उपरोक्त थाना खोडा पर धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में वाछिँत चल रहा था। जिसकी विवेचना थाना इन्दिरापुरम से सम्पादित की जा रही थी।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त अनुज कसाना पुत्र चौधरी अतर सिंह कसाना उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त अनुज कसाना उपरोक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आपराधिक संगठित गिरोह बना रखा है। जिनके द्वारा लोगों से रंगदारी वसूली मांगने जैसे संगीन अपराध कारित करके अवैध रुप से धन अर्जित करने व ना देने पर हत्या का प्रयास व मारपीट जैसे जघन्य अपराध कारित किये गये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अनुज कसाना पुत्र चौधरी अतर सिंह कसाना निवासी 89 महालक्ष्मी गार्डन गली न0 5 म0न0 123 खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त अनुज कसाना पुत्र चौधरी अतर सिंह कसाना उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोड़ा पर गैंगस्टर एक्ट, मारपीट आदि से सम्बन्धित 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर ठग/ चोर गिरफ्तार, कब्जे 05 ट्रैक्टर बरामद।

दिनांक 31-12-2025 को वादी श्री राहुल पटेल पुत्र श्री मान पटेल निवासी सी-74 लोहा मन्डी गाजियाबाद ने थाना नन्दग्राम पर सूचना दी कि अभियुक्त द्वारा मेरे से 03 ट्रेक्टर किराये पर चलाने के लिए थे, और कुछ दिन बाद ना तो मुझे ट्रैक्टर वापस किये और ना ही किराया दिया और मेरे ट्रैक्टर किसी को बेच दिये है, उक्त संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 02-01-24 को मुखबिर की सूचना पर मोरटी तिराहा जीएनबी मॉल के पास 01 शातिर ठग को मय ठगी किये गये 05 ट्रैक्टर बरामद किये गये। अभि0 के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभि0 का नाम व पता -

प्रवीन कुमार पुत्र श्री भरत सिंह निवासी ग्राम डाबरा थाना दादरी जनपद गौतमबुध्दनगर उम्र करीब 38 वर्ष

फरार अभियुक्त का नाम व पता-

अवतार भाटी पुत्र नामालूम निवासी ग्राम मथुरापुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।
मतेन्द्र पुत्र नामालूम निवासी ग्राम मथुरापुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त प्रवीन उपरोक्त ने बताया कि में मेरे दो साथ अवतार भाटी व मतेन्द्र निवासीगण ग्राम मथुरापुर थाना मुरादनगर मिलकर लोगो से एग्रीमेन्ट बनाकर किराये पर ट्रैक्टर लेते है और जिससे ट्रैक्टर लेते है उस मालिक को एक महीने का किराया एडवांस दे देते है। ताकि मालिक को हम लोगो की नियत पर शक ना हो और हम ट्रैक्टर को फाईनेन्स का बताकर उनके फर्जी दस्तावेज तैयाकर कर अन्य लोगो को बेच देते है। ये पांचो ट्रैक्टर भी हमने इसी तरह षडयन्त्र कर लोगो से किराये पर लेकर वापस नही किये है, इनके फर्जी कागजात तैयार करने के बाद हम लोग इन्हे बेचने के लिए निकले थे।

बरामदगी का विवरण-

1 आयशर माडल 380 रजि0 नं0 UP-14-FE-8427 चेसिस न0 931013196610

2. स्वराज माडल 744 रजि0न0 UP-42-BS-6850 चेसिस नम्बर MBNAV53NFPCM84108

3. स्वराज माडल 733 रजि0 न0 UP-14-FF-4426 चेसिस न0 MBNBZ46AANTL03782

4. आयशर माडल 333 रजि0 न0 UP-14-FQ-0354 चेसिस न0 932614179024

5. फार्मट्रैक माडल 50 रजि0न0 UP-43-AS-3372 चेसिस न0 T052488220KJ

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।